फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रहलादसिंह बनाम विपक्षी : श्री गिरिराजसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 66/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत: अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 7 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ट क से ड तक में वर्णित कृषि भूमि में तथा इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 तक का राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्से अनुसार ही हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य है तथा मौके पर काश्त की सुविधा के लिए आपस में हिस्से अनुसार अनुमानत: विभाजन किया हुआ है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 अपने–अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु उपरोक्त प्रार्थनादग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के मध्य हिस्से, कब्जे अनुसार कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है। यह कि उपरोक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के मध्य हिस्से कब्जे अनुसार कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने से तथा राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज होने से प्रार्थी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का विकास करने में परेशानी आ रही है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का संयुक्त रूप से अंकन होने से इसकी आड में विपक्षी प्रार्थी के हक अधिकारों को नुकसान पहूंचा रहें जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुपस्थित है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में विपक्षीगण को पावन्द किये जाने से प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मुल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकता है जिससे कानूनी पैचिदगीया नहीं बढेगी। अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Banediya
Date: 2026.01.15 14:50:30 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपरोक्त तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पाटिया पटवार हल्का अमरपुर (खालसा) तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 के परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 11 की आराजी नम्बर 19, 67, 73 किता 03 रकबा 4100 हैक्टयर, परिशिष्ट(ख) की खाता संख्या नया 52 की आराजी नम्बर 51, 56 किता 2 रकबा 0.6300 है., परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 45 की आराजी नम्बर 273, 274, 278 किता 3 रकबा 1.7000 है., परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 46 आराजी नम्बर 20 रकबा 1.1400 है., परिशिष्ट (ड.) की खाता संख्या नया 47 की आराजी नम्बर 39, 44 किता 2 रकबा 0.2200 है. व मौजा कापड़ियों का खेड़ा पटवार हल्का अमरपुर (खालसा) तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 22 की आराजी नम्बर 337, 338 किता 2 रकबा 0.8900 है. भूमि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:30 IST
Reason: SelfAttested